RNI No. : UPHIN-2009/29369

डाक पंजीकरण : MISC/CPM/01/KPHO/2019-21
प्रधान डाकघर कानपुर-डाक प्रेषण दिनांक 29/30

वार्षिक सदस्यता शुल्क 100/-

द्रविड़ भारत

www.dbindia.org.in

सामाजिक परिवर्तन का मासिक पत्र

जुलाई-2021 | वर्ष - 13 | अंक : 06 | मूल्य : 5/-

सम्पादकीय

RNI No. : UPHIN-2009/29369

संपादक : उमेश्वरी देवी, मो.: 9005204074
संरक्षक मण्डल : मा. रामदीन अहिरवार (महोबा), मा. राम अवतार चौधरी (इं. जल संस्थान), मा. छविलाल वर्मा (चरखारी), मा. हरिनाथ राम (दिल्ली), मनीष कुमार मो. 9415053621
राज्य ब्यूरो प्रमुख उत्तर प्रदेश : सुनीता धीमान, 414/12, शास्त्री नगर, कानपुर (उ.प्र.), मो. : 9450871741
सुनील कुमार, ढेलवा, गाजीपुर (उ.प्र.), मो.: 9935363730, 9170836363
क्षेत्रीय सम्पादकीय कार्यालय : 40/69, डी-5, श्यामलाल का हाता, परेड, कानपुर (उ.प्र.), मो. : 8756157631
ब्यूरो प्रमुख कानपुर मण्डल : पुष्पेन्द्र गौतम, मल्हौसी, औरेया, उ.प्र. मो.: 9456207206
हरियाणा राज्य : डा. रमेश रंगा, ग्राम-सराय, औरंगाबाद, पो.-बहादुरगढ़,जिला-झज्जर (हरियाणा),09416347052
कानूनी सलाहकार : एड. रामप्रकाश अहिरवार, एड. यू.के. यादव, मोती लाल वर्मा, एड. विजय बहादुर सिंह राजपूत, एड. रमाकान्त धुरिया, रामऔतार वर्मा, एड. सुशील कुमार, कानपुर
मध्य प्रदेश राज्य : पुष्पेन्द्र कुमार कार्यालय : ग्रा. व पो.-रामटौरिया, जिला-छतरपुर
छत्तीसगढ़ राज्य : दिलीप कुमार कोसले, मो. : 09424168170
दिल्ली प्रदेश : C/o अनिल कुमार कनौजिया C-260, हर्ष विहार, हरिनगर एक्सटेंशन पार्ट-III, बदरपुर, नई दिल्ली-44, मो. : 09540552317
राजस्थान राज्य : रघुनाथ बौद्ध, श्याम रघु फुट वियर, दुकान नं.-1, गणेश मार्केट, पुलिस चौकी के सामने, अलवर, जिला-अलवर-301001, मो. : 09887512360, 0144-3201516
चिरंजीलाल बैरवा (व्यावस्थापक) मेहरा आदर्श विद्या मन्दिर, भीम नगर कालोनी, राज भट्टा, दिल्ली रोड, अलवर, जिला-अलवर, मो.-09829855349
बाबूलाल बौद्ध, अलवर, मो.-08058198233
संपादकीय/विज्ञापन प्रसार/पंजीकृत कार्यालय : ग्रा व पो.-रिवई (सुनैचा), जिला-महोबा (उ.प्र.) मो. : 9005204074, 8756157631
E-mail : dravinbharat1@gmail.com
प्रकाशक, मुद्रक एवं स्वामी उमेश्वरी देवी द्वारा ग्रा. व पो.-रिवई (सुनैचा), जिला महोबा से प्रकाशित व श्रेय ऑफसेट प्रा. लि., 109/406, नेहरू नगर, कानपुर, 84/1, बी, फजलगंज, कानपुर से मुद्रित

प्रकाशित पत्रिका में प्रकाशित लेख, सामग्री, में संपादक की सहमति अनिवार्य नहीं है। इसमें किसी भी प्रकार का दावा या विचार मान्य नहीं होगा। लेख के विवादित होने पर लेखक ही उत्तरदायी होगा समस्त विवादों का निपटारा महोबा न्यायालय में होगा पत्रिका का संपादन एवं संचालन पूर्णतयः अवैतनिक एवं अव्यवसायिक है।

मिशन को बढ़ाने के लिए सहयोग करें -
भारतीय स्टेट बैंक, शाखा-पी.पी.एन. मार्केट, कानपुर
खाता सं.-33496621020 • IFSC CODE-SBIN0001784

पूना पैक्ट का मूल पाठ

समझौते का मूल पाठ निम्न प्रकार से था–

1. प्रांतीय विधानसभाओं में सामान्य निर्वाचित सीटों में से दलित वर्गों के लिए सीटें सुरक्षित की जाएंगी जो निम्न प्रकार होंगी।

मद्रास 30, बम्बई और सिंध मिला कर 15, पंजाब 8, बिहार एवं उड़ीसा 18, मध्य प्रांत 20, असम 7, बंगाल 30, संयुक्त प्रांत 20, कुल योग 148, ये संख्या प्रांतीय काउंसिलों में कुल सीटों की संख्या पर आधारित थी, जिन्हें प्रधानमंत्री ने अपने फैसले में घोषित किया था।

2. इन सीटों का चुनाव संयुक्त निर्वाचन प्रणाली द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया से किया जाएगा :

दलित वर्गों के सभी लोग जिनके नाम उस निर्वाचनक्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज होंगे, एक निर्वाचन मंडल में होंगे, जो प्रत्येक सुरक्षित सीट के लिए दलित वर्गों के चार अभ्यर्थियों का पैनल चुनेगा। वह चुनाव–पद्धति एकल मत प्रणाली के आधार पर होगी। ऐसे प्राथमिक चुनाव में जिन चार सदस्यों को सबसे अधिक मत मिलेंगे, वे सामान्य निर्वाचन के लिए उम्मीदवार माने जाएंगे।

3. केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व उपरोक्त खंड 2 में उपबंधित रीति से संयुक्त निर्वाचन प्रणाली के सिद्धांत पर होगा और प्रांतीय विधानमंडलों में उनके प्रतिनिधित्व के लिए प्राथमिक निर्वाचन के तरीके द्वारा सीटों का आरक्षण होगा।

4. केंद्रीय विधानमंडल में अंग्रेजी राज के तहत सीटों में से दलित वर्गों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 18 प्रतिशत होगी।

5. उम्मीदवारों के पैनल की प्राथमिक चुनाव व्यवस्था केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों के लिए जिनका ऊपर उल्लेख किया गया है प्रथम दस वर्ष के बाद समाप्त हो जाएगी। दोनों पक्षों की आपसी सहमति पर निम्नलिखित पैरा 6 के अनुसार इसे पहले भी समाप्त किया जा सकता है।

6. प्रांतीय तथा केंद्रीय विधानमंडलों में दलितों के लिए सीटों का प्रतिनिधित्व, जैसा कि ऊपर खंड 1 और 4 में दिया गया है, तब तक जारी रहेगा, जब तक कि दोनों संबंधित पक्षों में आपसी समझौते द्वारा उसे समाप्त करने पर सहमति नहीं हो जाती।

7. केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव के लिए दलितों को मतदान का अधिकार उसी प्रकार होगा जैसा लोथियन समिति की रिपोर्ट में कहा गया है।

8. दलित वर्गों के सदस्यों को स्थानीय निकायों के चुनावों तथा सरकारी नौकरियों में अस्पृश्य होने के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। दलितों के प्रतिनिधित्व को पूरा करने के लिए सभी तरह के प्रयत्न किए जाएंगे और सरकारी नौकरियों में उनकी नियुक्ति निर्धारित शैक्षिक योग्यता के अनुसार की जाएगी।

9. सभी प्रांतों में शैक्षिक अनुदान से उन दलितों के बच्चों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए समुचित धनराशि नियत की जाएगी।

समझौते की शर्तें श्री गांधी ने मान ली और उनको भारत सरकार के अधिनियम में शामिल कर लिया गया। पूना पैक्ट पर विभिन्न प्रतिक्रियाएं हुईं। अस्पृश्य दुखी थे। ऐसा होना स्वभाविक था। बहुत से लोग उस समझौते के पक्ष में नहीं है। वे यह जानते हैं कि यह सही है कि प्रधानमंत्री द्वारा कम्युनल अवार्ड में दी गई सीटों की अपेक्षा पूना पैक्ट में अस्पृश्यों को अधिक सीटें दी गई हैं। पूना पैक्ट से अस्पृश्यों को 148 सीटें मिली हैं, जबकि कम्युनल अवार्ड में 78 सीटें मिलनी थीं। परंतु इससे यह परिणाम निकालना कि कम्युनल अवार्ड की अपेक्षा पूना पैक्ट में बहुत अधिक दिया गया है, वास्तव में कम्युनल अवार्ड की उपेक्षा करना है क्योंकि कम्युनल अवार्ड ने भी अस्पृश्यों को बहुत कुछ दिया है।

कम्युनल अवार्ड से अस्पृश्यों को दो लाभ थे –

1. पृथक मतदाता प्रणाली द्वारा अस्पृश्यों को सीटों का निश्चित कोटा, जिन पर अस्पृश्य उम्मीदवारों को ही चुना जा सकता था।

2. दोहरी मतदान सुविधा– वे एक वोट का उपयोग पृथक मतदान के तहत दे सकते थे और दूसरा आम चुनाव के समय देते।

अब यदि पूना पैक्ट ने सीटों का कोटा बढ़ा दिया गया है तो इसने दोहरे मत की सुविधा भी समाप्त कर दी है। सीटों की वृद्धि दोहरे मत की सुविधा की हानि की क्षतिपूर्ति कभी नहीं कर सकती। कम्युनल अवार्ड द्वारा किया गया दोहरे मतदान का अधिकार अमूल्य एवं विशेष अधिकार था। यह एक राजनीतिक हथियार था, जिसकी बराबरी नहीं की जा सकती। प्रत्येक निर्वाचनक्षेत्र में मतदान करने योग्य अस्पृश्यों की संख्या पूर्ण मतदान संख्या का दसवां भाग है। इस मतदान शक्ति से आम हिंदू उम्मीदवारों के चुनाव में अस्पृश्यों की स्थिति निर्णायक होती, चाहे साधिकार न भी हो। कोई भी सवर्ण हिंदू अपने निर्वाचनक्षेत्र में अस्पृश्यों की उपेक्षा नहीं कर पाता और अस्पृश्यों को आंख दिखाने की स्थिति में भी न रहता। अस्पृश्यों के मतों पर निर्भर करता। आज अस्पृश्यों की कम्युनल अवार्ड की अपेक्षा कहीं अधिक सीटें मिली हैं। बस उन्हें यही मिला। प्रत्येक सदस्य यदि क्षुब्ध नहीं भी है, तो भी उदासीन है। यदि कम्युनल अवार्ड द्वारा दिया गया दोहरे मतदान का अधिकार बरकरार रहता, तो अस्पृश्यों को कुछ सीटें भले ही कम मिलती, परंतु प्रत्येक सदस्य अस्पृश्यों के लिए भी प्रतिनिधि होता। अस्पृश्यों के लिए अब सीटों की संख्या में की गई बढ़ोतरी कोई बढ़ोतरी नहीं है। इससे पृथक मतदान प्रणाली और दोहरे मतदान की क्षतिपूर्ति नहीं होती। हिंदुओं ने यद्यपि पूना पैक्ट पर खुशियां नहीं मनाई, वे इसे पंसद नहीं करते। वे इस अफरातफरी में श्री गांधी के प्राणों की रक्षा के लिए चिंतित थे। इस दौरान भावना की लहर चल रही थी कि श्री गांधी के प्राण बचाना महान कार्य है। इसलिए जब उन्होंने समझौते की शर्तें देखी, तो वे उन्हें पसंद नहीं थीं, लेकिन उनमें उस समझौते को अस्वीकार करने का भी साहस नहीं था। जिस समझौते को हिंदुओं ने पंसद नहीं किया और अस्पृश्य उसके विरोध में था, पूना पैक्ट के दोनों पक्षों को स्वीकार करना पड़ा और उसे भारत सरकार के अधिनियम में शामिल कर लिया गया।

साभार – बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर
सम्पूर्ण वाङ्मय खंड–16
पृष्ठ सं. 95 से 98
डॉ. बी. आर. अम्बेडकर

बलात्संग यानी बलात्कार की परिभाषा व सजा

बलात्संग का सीधा सा अर्थ है–बल पूर्वक संग करना यानी बलात्कार करना। सबसे पहले हम बलात्कार की परिभाषा को समझेंगे यानी जानेंगे कि बलात्कार किसे कहा जाता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 375 में उन छह परिस्थितियों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है, जिनमें किसी महिला से मैथुन यानी सहवास करना बलात्कार की श्रेणी में आएगा।

पहला : स्त्री के इच्छा के खिलाफ।

दूसरा : उस स्त्री की इजाजत के बिना।

तीसरा : उस स्त्री की इजाजत से, जबकि उसकी इजाजत, उसे अथवा ऐसे किसी व्यक्ति को, जिससे वह हितबद्ध है, मृत्यु या उपहति (क्षति कारित करना) के भय में डालकर ली गई हो।

चौथा : उस स्त्री की इजाजत से, जबकि पुरूष यह जानता है कि वह उस स्त्री का पति नहीं है और स्त्री इस भ्रम में है कि वह पुरूष उसका पति है।

पांचवां : उस स्त्री की इजाजत से, जबकि इजाजत देते समय उसकी मानसिक हालत ठीक न हो, वह किसी तरह के नशे के प्रभाव में हो, कोई पदार्थ खिलाकर उसे उत्तेजित कर दिया गया हो या फिर वह अपनी चिंता करने में असमर्थ हो।

छठा : उस स्त्री की इजाजत से, जिसकी आयु सोलह वर्ष से कम हो।

जान लें–बलात्संग के अपराध के लिए आवश्यक मैथुन गठित करने के लिए प्रवेशन अनिवार्य है।

अपवाद : पुरूष का अपनी पत्नी के साथ मैथुन बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता यदि पत्नी पंद्रह वर्ष से कम आयु की नहीं है।

नए कानून के सम्बंध मे भी जान लें

बलात्कार से पीड़ित महिलाओं के सम्बंध में जो नया कानून बनाया गया है, उसके बारे में भी महिलाओं को पूरी जानकारी होनी चाहिए, ताकि वे वक्त पड़ने पर अपने अधिकारो के लिए लड़ सकें।

नए कानून के अनुसार महिलाओं के साथ बलात्कार के मुकद्दमों की सुनवाई सिर्फ महिला जजों से कराने का प्रावधान है। इससे एक अच्छी, असरदार और मानवीय न्याय प्रणाली चलाने में मदद मिलेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बलात्कार के मामलों में चिकित्सा सबूत अपर्याप्त भी हैं, तो भी महिला का बयान ही काफी समझा जाना चाहिए। देश में बलात्कार के लगभग 80 प्रतिशत मामलों में सबूत के अभाव, धीमी पुलिस जांच में अभियुक्तों को सजा नहीं मिल पाती है। बहुत–सी महिलाएं ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट भी कराने से कतराती हैं। भारतीय महिलाओं में इस तरह की घटनाओं को छुपाने की प्रवृत्ति होती है क्योंकि इससे उनका और उनके परिवार का सम्मान जुड़ा होता है।

अभी तक ऐसा होता था कि पुरूष वकील बलात्कार की शिकार किसी महिला को डराने और धमकाने में कामयाब हो जाते थे, अब महिला जज सहानुभूति वाला माहौल बनाने में मदद करेंगी।

बलात्कार की शिकार कोई महिला अदालत में जिरह के दौरान अपने वकील को अपने साथ रख सकेगी। अभी तक ऐसा कैमरे के सामने होता था जिसमें असहजता होती थी।

अब जबकि मैं इस पुस्तक को लिख रहा हूं, बलात्कार की शिकार महिला को महिला वकील देने का प्रावधान भी किया जा रहा है क्योंकि सिर्फ महिला ही एक महिला को सही तरह से समझ सकती है।

अगर कोई महिला चाहे तो अपनी पसंद का वकील चुन सकती है। अभी तक सिर्फ सरकारी वकील ही ऐसे मामलों में जिहर करते थे।

साथ ही ऐसे मामलों में गवाहों के बयान पुलिस के सामने देने की प्रथा भी बंद करने का प्रस्ताव किया गया है, जिस पर विचार चल रहा है।

बलात्कार की परिभाषा

धारा 375 में बलात्कार की परिभाषा स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि अगर उपरोक्त छह स्थितियों में पुरूष स्त्री से सहवास करता है तो वह बलात्कार की श्रेणी में आएगा। इसके लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 376 में सजा का प्रावधान किया गया है। आइए अब इसी धारा के बारे में अध्ययन करते हैं।

धारा 376

यह धारा बलात्संग के लिए दंड का प्रावधान बताती है।

1. इस धारा के तहत बताया गया है कि उपरोक्त छह कारणों में अगर कोई बलात्संग करेगा तो उसे सात वर्ष से लेकर उम्रकैद तक की सजा दी जा सकती है। साथ ही जुर्माना भी किया जाएगा। कानून की यह धारा संज्ञेय है, गैर जमानती है और इस मामले की सुनवाई सेशन कोर्ट में होगी।

लेकिन इस धारा में यह भी बताया गया है कि अगर कोई पुरूष अपनी पत्नी, जिसकी उम्र बारह वर्ष से कम है, से उसकी मर्जी या बिना मर्जी सहवास करेगा, तो वह भी दंडनीय होगा, लेकिन ऐसे मामलों में पति को दो वर्ष कारावास व जुर्माना होगा। ऐसे में यह धारा असंज्ञेय हो जाएगी तथा जमानती होगी। लेकिन ऐसे मामलों की सुनवाई भी सेशन कोर्ट में होगी।

उपधाराएं

धारा 376 ए

कानून की इस धारा में बताया गया है कि कोई पुरूष जो किसी भी कारण से अपनी पत्नी से अलग रह रहा है, उस स्थिति में उसके साथ जबदस्ती सहवास करता है तो उसे दो वर्ष कारावास व जुर्माने की सजा मिलेगी। कानून की यह धारा असंज्ञेय है तथा जमानतीय है। यह मामला सेशन कोर्ट में चलेगा। यहां मैं स्पष्ट कर दूं कि पति से अलग रहने का मतलब है– न्यायालय द्वारा अलग कर दिया जाना, किसी प्रथा के तहत अलग हो जाना, किसी रूढ़ि के तहत अलग हो जाना आदि। कोई पंचायत भी पति–पत्नी को अलग रहने की इजाजत दे सकता है। ऐसी अलग रहने वाली पत्नी से इस धारा में बलात्संग का जिक्र किया गया है।

इस धारा में यह भी बताया गया है कि अगर कोई पुलिस अधिकारी होते हुए अपने थाने परिसर या कहीं और अपनी सुरक्षा में आई स्त्री के साथ सहवास करेगा तो उसे सात साल के कारावास व जुर्माने की सजा दी जाएगी।

धारा 376 बी

कानून की इस धारा में बताया गया है कि यदि कोई लोक सेवक अपनी अभिरक्षा में किसी स्त्री से संभोग करता है, तो उसे कम से कम पाँच वर्ष की सजा व जुर्माना किया जाएगा। लोक सेवक का अर्थ जनता की सेवा करने वाला, यानी सरकारी कर्मचारी। इस धारा में स्पष्ट किया गया है कि अगर कोई लोक सेवक अपनी शासकीय स्थिति का फायदा उठाकर अपनी सुरक्षा में आई स्त्री से सहवास करेगा, उसे ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा, विवश करेगा तो यह बलात्कार की श्रेणी में आएगा। कानून की धारा संज्ञेय तो है, लेकिन इसमें मैजिस्ट्रेट के आदेश या वारंट के बिना गिरफ्तारी नहीं होगी। यह धारा जमानती है तथा इसका ट्रायल सेशन कोर्ट में चलेगा।

धारा 376 सी

ऐसा व्यक्ति, जो किसी जेल, रिमांड होम, रहने या आश्रय पाने के स्थल, स्त्रियों या बच्चों की किसी संस्था का अधीक्षक या प्रबंधक होते हुए अपनी शासकीय स्थिति का फायदा उठाकर किसी स्त्री से बलात्कार करेगा, उसे ऐसा करने के लिए उकसाएगा, उत्तेजित करेगा या मजबूर करेगा तो उसे पांच वर्ष तक के कारावास व जुर्माने की सजा होगी। कानून की यह धारा भी संज्ञेय है, लेकिन आरोपी की गिरफ्तारी मैजिस्ट्रेट क आदेश के बिना नहीं हो सकती। यह धारा जमानती है तथा यह मामला सेशन कोर्ट में चलेगा।

धारा 376 डी

अस्पताल के किसी प्रबंधक या कर्मचारियों द्वारा अपनी शासकीय स्थिति का फायदा उठाकर अस्पताल में किसी स्त्री के साथ सहवास करेगा तो ऐसे व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की पांच वर्ष के कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई जाएगी। कानून की यह धारा भी संज्ञेय है, लेकिन गिरफ्तारी मैजिस्ट्रेट के आदेश के बिना नहीं हो सकती। यह मामला भी सेशन कोर्ट में चलेगा।

लेकिन अगर स्त्री गर्भवती हुयी, बारह वर्ष से कम आयु की हुई और उससे सहवास किया गया तो दस वर्ष का कारावास व जुर्माना होगा। अगर एक से अधिक कर्मचारियों ने मिलकर बलात्संग किया ता यह सामूहिक बलात्कार की श्रेणी में आएगा जिसके लिए दस वर्ष का कठोर कारावास व जुर्माना होगा।

समझें– जहां बलात्संग के सदंर्भ में 'व्यक्तियों के समूह' शब्द का प्रयोग किया जाता है वहां ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति के बारे में यही समझा जाएगा कि उसने इस उपधारा के अर्थ में सामूहिक बलात्कार किया है।

जहाँ 'स्त्रियों या बालकों की किसी संस्था' का उल्लेख आता है वहाँ उसका अर्थ किसी भी ऐसी संस्था से है जो स्त्रियों या बालकों के लिए गृह हो, विधवाओं के लिए गृह हो अथवा कोई अन्य नाम हो।

'अस्पताल' शब्द से यहाँ आशय ऐसी किसी भी संस्था का सम्पूर्ण आहाता है जो आरोग्य स्थापन के दौरान व्यक्तियों को चिकित्सक ध्यान अथवा पुनर्वास की अपेक्षा रखने वाले व्यक्तियों को ग्रहण करने और उसका उपचार करने का कार्य करता है।

रोहतक की सरिता का मामला

यह एक ऐसा मामला है, जिसने हरियाणा पुलिस की चूलें हिलाकर रख दी थीं। यह मामला पुलिस के दामन पर एक ऐसा बदनुमा धब्बा है, जिसे शायद कभी न धोया जा सके। इस मामले में सरिता नाम की और रोहतक सिटी थाने में 1 मई 2008 को अपनी शिकायत लेकर गई। उसने शिकायत में बताया कि उसके पति को सीआईए (क्राइम इंवेस्टिंग एजेंसी) विंग ने अवैध तरीके से हिरासत में ले लिया है और जब वह अपने पति को बचाने के लिए गई, तो वहां दो पुलिसकर्मियों ने उसके साथ बलात्कार किया। पूछताछ करने पर उसने बताया कि उसके पति को सीआईए ने मोटरसाइकिल मामले में गलत पकड़ लिया था। पुलिस ने उसकी एक न सुनी तथा दोषी पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ कोई कारवाई नहीं की। जब पुलिस के उच्चाधिकारियों से शिकायत की गई तो उल्टा सरिता को ही दोषी ठहराया जाने लगा। इस पर सरिता अपने दो बच्चों को लेकर नौ जून, 2008 को रोहतक से पंचकूला के सेक्टर –6 स्थित डीजीपी कार्यालय में पहुंची। वहाँ उसने इंसाफ की गुहार की। वहां भी उसकी फरियाद नहीं सुनी गई तो उसने पुलिस को आत्महत्या कर लेने की चेतावनी दी, लेकिन पुलिस फिर भी नहीं चेती। इस पर सरिता ने डीजीपी कार्यालय के सामने ही जहर निगल लिया तथा आत्महत्या कर ली। इसके बाद एडीजीपी स्तर के अधिकारी ने केस की जांच की। सरिता के साथ बलात्कार रेप के मामले में जहां पुलिसकर्मी बलराज व सिल्क राम को अभियुक्त बनाया गया, वहीं आत्महत्या के लिए उकसाने के केस में इन दोनों के अलावा डीएसपी धीरज सेतिया व दो अन्य को अभियुक्त बनाया गया और मामले की जांच सीबीआई को दे दी गई।

इस मामले में नियमों के मुताबिक आईपीसी की धारा

376 ए व 'जी' लगनी चाहिए थी, 'ए' इसलिए लगनी चाहिए थी क्योंकि सरिता पुलिस वालों की अभिरक्षा में नहीं थी। इस धारा के अनुसार कोई भी पुलिसकर्मी थाने के भीतर या बाहर किसी महिला से रेप करता है, जबकि बी में पुलिस अधिकारी अपने संरक्षण में मौजूद महिला का थाने में रेप करता है। जी का मतलब है गैंग रेप यानी सामूहिक बलात्कार। लेकिन मामला दर्ज करने वाले प्रहलाद सिंह का कहना था कि उन्होंने जब सिटी थाने के एसएचओ पवन कुमार व डीएसपी धीरज सेतिया से बात की, तो उन्होंने कहा कि इसमें 376 ए व जी के बजाए 376 बी और 34 लगाओ। इस पर उन्होंने वही धाराएं लगा दी।

देखा जाए तो धारा 376 ए व बी में थोड़ा ही फर्क है। 'ए' में पुलिस अधिकारी कहीं का भी हो सकता है और वह कहीं भी रेप कर सकता है लेकिन 'बी' में पुलिस अधिकारी अपने ही थाने में होता है तथा अपनी अभिरक्षा में आई स्त्री से रेप करता है।

बलात्कार पीड़िता के लिए सावधानियाँ

बलात्कार हो जाना किसी भी सभ्य समाज के माथे र उसे खुद को दोषी समझना भी नहीं चाहिए। उसे चुप नहीं बैठना चाहिए तथा दोषी के खिलाफ कानूनी कारवाई करके उसे सजा दिलवाना चाहिए। बलात्कार हो जाने पर स्त्री कौन–सी सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि वो न्याय प्राप्त कर सकें, यह अवश्य जान लें।

इसे छिपाएं नहीं। अपने परिवार वालों या सहेलियों को बताएं।

बलात्कार के बाद नहाएं नहीं। इससे बलात्कार के साक्ष्य समाप्त हो जाते हैं।

वह कपड़े जिनमें बलात्कार हुआ है, उन्हे धोएं नहीं। ऐसा करने से महत्त्वपूर्ण सबूत मिट जाएंगे।

बलात्कारी का हुलिया याद रखने की कोशिश करें।

तुरंत पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ. आई. आर.) लिखवाएं। एफ.आई.आर. लिखवाते वक्त परिवार वालों को साथ ले जाएं। घटना की जानकारी विस्तार से रिपोर्ट में लिखवाएं।

एफ.आई.आर. में यह बात जरूर लिखवाएं कि जबदस्ती (बलात्कार) सम्भोग हुआ है।

यदि बलात्कारी का नाम जानती है, तो पुलिस को अवश्य बताएं।

यह उस स्त्री का अधिकार है कि एफ.आई.आर. की एक कापी उसे मुफ्त दी जाए।

यह पुलिस का कर्त्तव्य है कि वह स्त्री की डॉक्टरी जांच कराए।

डॉक्टरी जांच की रिपोर्ट की कॉपी जरूर लें।

पुलिस जांच के लिए स्त्री के कपड़े लेगी, जिस पर बलात्कारी पुरूष के वीर्य, खून, बाल इत्यादि हो सकते हैं। पुलिस स्त्री के सामने उन कपड़ों को सील–बंद करेगी। उन सील बंद कपड़ों की रसीद जरूर लें।

कोर्ट में बलात्कार का केस बंद कमरे में चलता है यानी कोर्ट में केवल केस से सम्बंधित व्यक्ति ही उपस्थित रह सकते हैं।

पीड़ित स्त्री की पहचान को मीडिया में या किसी भी तरह से प्रकाश में लाना अपराध है।

पीड़ित स्त्री का पूर्व व्यवहार नहीं देखा जाना चाहिए।

अगर पुलिस एफ.आई.आर. लिखने से मना कर दे, तो आप निम्न जगहों पर शिकायत कर सकते हैं –

कलेक्टर, स्थानीय या राष्ट्रीय समाचार पत्र, राष्ट्रीय महिला आयोग।

कानून बलात्कार से पीड़ित महिला को क्रिमिनल इज्यूरीस कंपेन्सेशन बोर्ड के द्वारा आर्थिक मुआवजा भी दिलवाता है।

स्त्री के अभद्र रूप से प्रदर्शन पर कानून स्त्री का अभद्र रूप या चित्रांकन –

यदि कोई व्यक्ति विज्ञापनों, प्रकाशनों, लेखों, तस्वीरों, आकृतियों द्वारा या किसी अन्य तरीके से स्त्री का अभद्र रूपण या प्रदर्शन करता है तो उसे दो से सात साल की कैद और जुर्माने की सजा होगी।

कार्यस्थल पर यौन शोषण पर कानून

(उच्चतम न्यायलय का विशाखा निर्णय, 1997)

कार्यस्थल पर किसी भी तरह के यौन शोषण जैसे शारीरिक छेड़छाड़, यौन सम्बंध की मांग या अनुरोध, यौन उत्तेजक कथनों का प्रयोग, अश्लील तस्वीर का प्रदर्शन या किसी भी अन्य प्रकार का अनचाहा शारीरिक, शाब्दिक, अमौखिक आचरण जो अश्लील प्रकृति का हो, की मनाही है।

यह कानून उन सभी औरतों पर लागू होता है, जो सरकारी, गैर सरकारी, पब्लिक, सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में कार्य करती है।

पीड़ित महिला को न्याय दिलाने के लिए हर संस्था व दफ्तर में एक यौन शोषण शिकायत समिति का गठन होना आवश्यक है। इस समिति की अध्यक्ष एक महिला होनी चाहिए। इसकी पचास प्रतिशत सदस्य महिलाएं होनी चाहिएं तथा इसमें कम से कम एक बाहरी व्यक्ति को सदस्य होना चाहिए।

धारा 377A

इस धारा में अप्राकृतिक मैथुन की सजा बताई गई है। बताया गया है कि अगर कोई पुरूष प्राकृतिक व्यवस्था को छोड़कर अन्य तरीकों से मैथुन करेगा– जिसमें गुदा–मैथुन व मुख मैथुन आदि शामिल है–तो उसे दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा व जुर्माना किया जा सकता है। कानून की यह धारा संज्ञेय है, अजमानतीय है तथा यह मुकदमा प्रथम श्रेणी मैजिस्ट्रेट की अदालत में चलेगा। यह अप्राकृतिक मैथुन स्त्री के अलावा अगर पुरूष से किया जाता है तो उसके लिए भी यही सजा का प्रावधान है। इसके अलावा किसी बच्चे या पशु से भी इस तरह का यौनाचार करने पर इसी सजा का प्रावधान है।

लेकिन समलैंगिक सम्बंधो पर लागू नहीं

लेकिन भारत में भी अब पश्चिमी देशों की तर्ज पर स्वेच्छा से समलैंगिक सम्बंध स्थापित करने पर यह धारा लागू नहीं होती। दो जुलाई, 2009 को दिल्ली हाई कोर्ट पर से यह धारा हटा ली। कोर्ट ने समलैंगिक सम्बंधों को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 377 से बाहर माना।

कोर्ट का कहना था कि–समलैंगिक पर धारा 377 के तहत कार्यवाही करना भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों का हनन है।' गैर सरकारी संगठन 'नाज फाउंडेशन' द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायलय ने अपना निर्णय सुनाते हुए कहा कि – '1860 में बनी धारा 377 को वास्तविक परिवेश में केवल नाबालिग के साथ अप्राकृतिक यौन सम्बंध बनाने और जानवरों के साथ यौन सम्बंध बनाने के लिए ही उचित समझा जाए, एक लिंग के दो व्यक्ति जो कि बालिग हों अपनी मर्जी से साथ रह सकते हैं।'

दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले पर जैसे एक जंग की शुरूआत हो गई। अनेक सामाजिक संगठनों ने इसका विरोध किया। सरकार ने यह मामला सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ दिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ही इस मामले में अपना फैसला दे।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा

सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 377 का दायरा बहुत बड़ा है और इसे समलैंगिक अथवा एक ही लिंग के दो लोंगों के बीच शारीरिक सम्बंध से जोड़कर कि यह प्रकृति के खिलाफ और आपराधिक है, सीमित नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति जी.एस. सिंघवी और न्यायमूर्ति एस.जे. मुखोपाध्याय की खंडपीठ ने कहा कि–'आईपीसी की धारा–377 का दायरा काफी विस्तृत है।' न्यायमूर्ति सिंघवी ने कहा कि–'समाज अब काफी बदल चुका है और अब बिना शादी के स्त्री–पुरूष के साथ–साथ रहने अथवा किराए की कोख का चलन है। न्यायलय ने कहा कि आज से 20–30 साल पहले किराए की कोख से जन्मे बच्चे को अप्राकृतिक अथवा प्रकृति के आदेश के खिलाफ बताया जा सकता था लेकिन आज यह एक व्यवसाय में तब्दील हो चुका है।'

कुल मिलाकर धारा 377 की महिलाओं के संदर्भ में जो सुस्पष्ट प्रयोग है, कि किसी भी स्थिति में कोई भी पुरूष किसी महिला को–चाहे महिला उस पुरूष की पत्नी ही क्यों न हो–अप्राकृतिक मैथुन के लिए बाध्य नहीं कर सकता।

साभार :
महिलाएं समझे अपने कानूनी अधिकार
पृ.सं. 104 से 111 तक।
जे.के.वर्मा

धर्म की आवश्यकता केवल गरीबों को होती है।

लोग मुझसे प्रश्न करते हैं कि बौद्ध–धर्म ग्रहण करने में मैंने इतनी देर क्यों की? प्रश्न महत्वपूर्ण है। इस संबंध में मैं केवल यहीं निवेदन कर सकता हूँ कि इस धर्म के गंभीर तत्व दूसरों को समझाने की तैयारी करने में मुझे देर लग गई। आज मुझ पर जितनी जिम्मेदारी है, उतनी शायद संसार में किसी पर नहीं है। यदि मैं ज्यादा साल जीवित रहा, तो सब काम पूरा करके दिखाऊँगा। (बाबा साहेब जिंदाबाद की ध्वनि)

अमीरों को धर्म की जरूरत नहीं। जो कोठियों और बढ़िया बंगलों में रहते हैं, जिनके पास धन है, नौकर–चाकर हैं, आराम और मनोरंजन की सारी चीजें हैं, उन्हें धर्माधर्म पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं। दुखी, अभाव–ग्रसित और पीड़ित लोगों को ही धर्म की विशेष आवश्यकता होती है, क्योंकि व आशा पर जीवित रहता है और धर्म उसे आशावादी बनाता है। धर्म उसे धीरज देता है कि 'घबराओ नहीं तुम्हारा मंगल होगा।'' योरप में जिस समय ईसाई धर्म का प्रचार हुआ लोगों को पेट भर खाना नहीं मिलता था। पीड़ित, वंचित और शोषित लोग ही मसीह की शरण में गये। 'गिबन' ने एक बार कहा भी था–''ईसाई धर्म भिखमंगों का धर्म।'' लेकिन वही ईसाई धर्म सारे योरप का धर्म बनकर सारे संसार पर छा गया 'गिबन' यदि आज जीवित होते, तो अपनी बात का जवाब खुद पा लेते।

कुछ लोग कहेंगे बौद्ध–धर्म भंगी–चमार का धर्म है। इससे आपको खिन्न न होना चाहिए। बामण भगवान् को भी ''भो गौतम!'' कहकर चिढ़ाया करते थे और भगवान् कभी–कभी उन्हें ''भो वादी'' कह देते थे। आप जानते हैं कि विदेशों में बामणों के राम, कृष्ण और शिव की मूर्तियों को यदि खरीदने के लिए रखा जाय, तो कोई नहीं खरीदेगा और बुद्ध की मूर्ति रखी जाय, तो एक भी नहीं बचेगी। भगवान का धर्म विश्वव्यापी है, और भारत में भी वह पुनः फैलकर रहेगा। बामण का धर्म मिट रहा है। और मिटकर रहेगा। वह निर्जीव है भगवान बुद्ध का धर्म अजर–अमर है। वह आशा का प्रतीक एवं अभ्युदय और निःश्रेयस का महान मार्ग है। हमें दुख है कि इस धर्म को हमने पहले क्यों नहीं अपनाया।

साभार :
नागपुर का भाषण
पृ.सं. 11 से 12 तक।
अनुवादक चन्द्रिका प्रसाद जिज्ञासु

राष्ट्रीय आजीविका सेवा केन्द्र

अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु

द्वारा पूर्व की भाँति इस वर्ष भी 10+2 बेरोजगार युवक/युवतियों हेतु **निःशुल्क एक वर्षीय ओ लेवल कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर, एक वर्षीय ओ लेवल कम्प्यूटर हार्डवेयर मेंटिनेंस एवं ग्यारह माह विषेश प्रशिक्षण योजना प्रशिक्षण** में प्रवेश प्रारम्भ हो चुके हैं जिसकी **अन्तिम तिथि 16.08.2021** है।

इलायापेरुमल कमेटी (1969) की संस्तुति को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने प्रशिक्षण एवं रोजगार महानिदेशालय, डी.जी.ई. के अधीन देश के राज्यों में अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु राष्ट्रीय आजीविका सेवा केन्द्रों की स्थापना की है। इसी क्रम में वर्ष 1970 से यह केन्द्र कानपुर में अनुसूचित जाति/जनजाति की सेवा में कार्यरत है।

उद्देश्य:

1. शिक्षित अनुसूचित जाति/जनजाति के बेरोजगार अभ्यर्थियों के सही मार्गदर्शन देते हुए सही दिशा निर्देशन उपलब्ध कराना।
2. अध्यापन एवं प्रशिक्षण के द्वारा बेरोजगार अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों को राजगार पाने की क्षमता में वृद्धि करना।
3. अनुसूचित जाति/जनजाति अभ्यर्थियों को रोजगार बाजार की सूचना देना एवं रोजगार प्राप्त करने में अनेक कार्यक्रमों द्वारा विविध स्तर पर उनकी सहायता करना।

रा0आ0से0के0 कानपुर की गतिविधियाँ

• पंजीयन पूर्व मार्गदर्शन • सम्प्रेषण पूर्व मार्गदर्शन • साक्षात्कार पूर्व मार्गदर्शन • सामूहिक मार्गदर्शन • व्यक्तिगत/सूचना मार्गदर्शन • आत्मविश्वास कार्यक्रम • पुनरीक्षण कार्यक्रम • व्यवसायिक सूचना • प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण • टंकण एवं आशुलिपि प्रशिक्षण • कम्प्यूटर ऑपरेशन प्रशिक्षण • कर्मचारी यचन आयोग एवं अन्य समूह "ग" परीक्षा की तैयारी हेतु विशेष प्रशिक्षण योजना • ओ लेवल कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर • ओ लेवल कम्प्यूटर हार्डवेयर मेंटिनेंस • स्व-रोजगार उच्च शिक्षा के साथ में भविष्यी नियोजन हेतु परामर्श • कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम • साक्षात्कार कला • अभिभावकों से विचार विमर्श • रोजगार सम्बन्धी अन्य समस्यायें।

भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

National Career Service
सही अवसर, सही समय
Right Opportunities, Right Time

नेशनल कैरियर सर्विस सेंटर फॉर एस.सी./एस.टी.
जी.टी. रोड, कानपुर

राज कुमार
उप क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी
रा.आ.से.के.
मो0 7988193472

वर्ण व्यवस्था में सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति

इस क्षेत्र में भारतीय लोगों की 26 जनवरी 1950 से पहले की सामाजिक, धार्मिक, राजनीति स्थिति का विवरण सिखाया था।

1. ब्राह्मण

ब्राह्मण भारत देश की कुल जनसंख्या का लगभग 3.5% है। उसकी धार्मिक पहचान बड़ी चोटी, तिलक और जनेऊ है। इस वर्ग के पास बुद्धि (ज्ञान) का भंडार है। यह अपने बाएं हाथ से अपने बुद्धि बल द्वारा बनाई गई असंभावित कहानियों के पात्र (गणेश, हनुमान आदि) की ओर इशारा करते हुए दिखाया गया है। दूसरा दायां हाथ क्षत्रिय के सिर पर चोटी को पकड़े हुए दिखा गया है। क्योंकि क्षत्रिय के दिमाग पर अपने बुद्धि (खजाने) के बल से कब्जा करके अपने मनचाहे कार्य करता है। बुद्धि बल (बलराज) होने के कारण इसे क्षत्रिय के कंधों पर बैठा हुआ दिखाया गया है। ब्राह्मण एक वर्ण (वर्ग) है, उसकी एक ही जाति है।

2. क्षत्रिय

यह वर्ग देश की जनसंख्या का लगभग 5.5% है। इसकी धार्मिक पहचान हथियार व जनेऊ है। इस वर्ग के पास बाहुबल है, जो कि वीर बल माना जाता है। वह ब्राह्मणों को अपना स्वामी मानता आया है और आज भी मान रहा है। ब्राह्मण के ज्ञान बल के कारण हीन होती है। वह ब्राह्मण को भूसुर (भूस्वामी) बगैर विवेक के मानकर उसके इशारे पर ब्राह्मण की ही भलाई के कार्य करता है। क्षत्रिय, ब्राह्मण के इशारे पर दूसरों की जान लेने के साथ–साथ कभी–कभी अपनी भी जान दे देता है। इसलिए इस वर्ग का आज तक नुकसान ही होता आ रहा है।

क्षत्रिय के दाएं हाथ में वीरबल का निशान हथियार व लाठी है। बाएं हाथ से वह अपने मालिक को गुरू और ईश्वर का अवतार समझकर उसका (ब्राह्मण का) पैर पकड़े हुए बताया है। वह समझाता है कि मेरे गुरू, ईश्वर ब्रह्म देव नीचे न गिर जाएं, उनको चोट न लग जावे, अन्यथा वे मुझसे नाराज हो जाएंगे और मुझे श्राप देकर मेरा वंश नाश कर देंगे। जैसे कि एक ब्राह्मण परशुराम ने 21 बार इस धरती पर क्षत्रियों का वंशनाश कर दिया था। इसी भय से सशंकित होने से उसके पास विवेक की कमी है। बाहुबल से भारतभूमि पर ज्यादातर इसी वर्ग का कब्जा है।

ब्राह्मण लोग परशुराम को अपना मुख्याधिपति बताते हैं। साथ ही यह भी गर्भ करके नहीं अघाते हैं कि परशुराम ने इस देश के क्षत्रियों की साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया। यह बात हिंदुओं के ग्रंथ में विस्तारपूर्वक लिखित है। परशुराम की उग्रता के बारे में लिखा है कि उसने 21 बार क्षत्रियों को सपरिवार नष्ट किया। क्षत्रियों को नष्ट करने के बाद उसकी विधवा स्त्रियों की गोद में से चार–चार पांच–पांच महीने के बच्चों को छीन कर, तनिक भी दया न कर दुष्टतापूर्वक जान से मार दिया और वह परशुराम इतने पर भी संतुष्ट नहीं हुआ। उसने अनाथ हुई पति–विहीन क्षत्राणियों, जो कि जंगलों में अपने प्राण व अपने पेट में पलने वाले बच्चों को बचाने के लिए भाग गई थीं, उनका शिकारी की भांति पीछा करके उन्हें पकड़ लाया और जब उसे ज्ञात होता कि किसी क्षत्राणी स्त्री के पुत्र हुआ है, तो वह तुरंत आकर उस मासूम शिशु की हत्या कर देता था। जब इस प्रकार की वास्तविकता हमें हिंदू धार्मिक ग्रंथों से ज्ञात होती है कि ब्राह्मण उन क्षत्रियों के विरोधी थे, तब ब्राह्मणों के सभी दुष्कृत्य जिन्हें हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे, जिसका बहुत सा अंश उन्होंने मिटा भी दिया होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। कारण यह है कि कोई व्यक्ति अपने मुंह से अपनी बुराई नहीं करता। यह वास्तव में आश्चर्य की बात है कि अपने ग्रंथों में ब्राह्मणों के परशुराम द्वारा एक ही बार नहीं इक्कीस बार क्षत्रियों के नर–संहार की घटना का वर्णन किया है। इस संबंध में हमारी समझ में विचार आता है कि परशुराम के कृत्यों का वर्णन ब्राह्मणों ने दूसरों की जानकारी के लिए अपने ग्रंथों में नहीं लिखा होगा। एक मशहूर कहावत है कि हथेली में सूरज को नहीं छिपाया होगा और जब कोई इलाज नहीं बचा होगा, तभी उन्हें यह लिखने के लिए बाध्य होना पड़ा होगा।

उक्त परशुराम ब्राह्मण के दुष्कर्मों का ध्यान आते ही मुझे अत्यंत कष्ट होता है कि उसने जब गर्भवती क्षत्राणियों का जंगलों में पीछा किया होगा तो उन्हें कितनी मुसीबत झेलनी पड़ी होगी। पाठक जरा ध्यान से सोचें कि जिन कुलीन क्षत्राणियों ने घर से बाहर कभी पैर भी नहीं रखा होगा, और न ही उन्हें भागने की आदत रही होगी तथा जिनके सेवक उनके रोजमर्रा के व्यवहार में आने वाली वस्तुओं को बाहर से लाकर घर में ही देते होंगे, तो उन क्षत्राणियों को भयभीत होकर भागने में कितनी मुसीबत का सामना करना पड़ा होगा। वो बेचारी क्षत्राणियां अपने पेट में बच्चों का बोझ लिए अपनी खानदानी शान का बीज बचाने के लिए कैसे भागी होगी। अगर आज वो होती तो शायद ही उलट–पुलट कर देती। जरा सोचिए कि उन क्षत्राणियों ने अपने पति का हित चिंतन करके ही अपने पति की बदौलत सुखमय जीवन बिताया था। उन्हीं क्षत्राणियों को अपने गर्भ का बोझ लेकर सूर्य की भीषण ज्वाला सी गर्मी में अनजाने रास्तों में भागना कितना कष्टदायक रहा होगा। उन नारियों को भागने की आदत न होने के कारण भागते समय पैर लड़खड़ाते होंगे इसलिए पत्थरों और चट्टानों पर कभी–कभी गिर जाती होंगी, तो कभी सिर पर, कभी कुहनी, कभी घुटने, ठोड़ी, दांतों में चोट आने के साथ–साथ कभी–कभी उस गर्भयुक्त पेट में भी चोट आ जाती होगी। इसके बावजूद जब वे सुनती होंगी कि परशुराम उनका पीछा करके इधर आ रहा है, तो वे भयभीत होकर और भी तेज भागती होंगी, तब उनके कोमल पैरों में पत्थर, लकड़ी व काँटे धंस जाते होंगे, तो वो किस तरह कराहती होंगी। वह पाठक आज केवल सोच ही सकता है। बेचारी क्षत्राणियां उन कांटों, पत्थरों के धंस जाने के दर्द की आहें भरती हुई कभी झाड़ियों में तो कभी जंगली खंदकों में अपने प्राण और इज्जत बचाने के लिए छुपने का प्रयास करती होंगी, तब उनके बदन के कपड़े तो फटते ही होंगे, साथ–साथ में वे बेचारी लहू–लुहान भी हो जाती होंगी। पाठक और सोचें कि वे बेचारी क्षत्राणी कड़ी धूप में तवे के समान जलती हुई चट्टानों पर चलती होंगी, तो उनके नंगे पैरों में छाले पड़ गए होंगे, गौर वर्ण वाली क्षत्राणियों की कोमल काया नीली होकर काली पड़ गई होगी। रो–रो कर उनके आंसू झाग बन गए होंगे। कई दिनों तक दाना–पानी के लिए मोहताज बनी रही होंगी और पेट के गर्भ की पीड़ा के साथ–साथ अन्य शारीरिक पीड़ा से वो कराहती होंगी, फिर भी परशुराम इधर न आ जाए, अपनी आवाज तक नहीं निकलने देती होंगी। तब वे अपने मन में विचार करती होंगी कि अच्छा है कि धरती फट जाए, ताकि मैं उसी में समा जाऊं।

अश्रुपूरित नेत्रों से क्या उन क्षत्राणियों ने विकल होकर ईश्वर से प्रार्थना नहीं की होगी कि हे प्रभू हमारे ऊपर कैसा वज्रपात हो रहा है। हम बलहीन हैं, इसलिए हमें अबला कहा जाता है। हमारे पास हमारे पति का जो बल था वह तो उस दुष्ट ब्राह्मण ने नष्ट कर ही दिया और हमारी अबलाओं पर शस्त्र उठाया और अपने उस कुकृत्य द्वारा हम नारियों पर पुरूषार्थ जता रहा है। ऐसे दुष्ट का घोर अपराध देखकर आप समर्थवान होकर भी मुंह में उंगली दबा कर चुप बैठे हो।

पाठक जरा सोचें कि उन क्षत्राणियों को उस समय प्रार्थना करते वक्त शायद यह याद न रहा होगा कि जिनसे वो प्रार्थना करती होगी वो भगवान देवी देवता तो ब्राह्मणों की कटपुतली हैं। क्योंकि ब्राह्मण ग्रंथ में साफ–साफ लिखा है कि ब्राह्मण सभी देवताओं का देवता होकर भूसुर यात्री भूस्वामी है। दुनिया में जो कुछ भी होता है वह केवल ब्राह्मणों की मर्जी से होता है, तब फिर वह भगवान उन बेचारी क्षत्राणियों की क्यों कर सुनता।

अब पाठक और थोड़ा सोचें कि जब वे क्षत्राणियां के सामने की होगी तो किसी ने अपने सीने पर पत्थर मारा होगा और किसी ने अपने बालों और चेहरों को नोच डाला होगा और किसी ने अपने प्राण मुंह में मिट्टी भर कर या ऊंची जगह से गिरकर दे दिए होंगे और कोई पागल होकर हा लाल, हा लाल करती हुई गलियों में लोगों के पत्थरों की चोटें खाती घूमते–घूमते मर गई होगी। जंगलों में उस परशुराम ब्राह्मण द्वारा पकड़ी जाती होंगी, तो वो उस ब्राह्मण से प्रार्थना करती होंगी कि हे प्रभु आप मेरी जान ले लो, परंतु मेरी गोद के इस अबोध बालक की जान बक्स दो, तो भी उस निर्दयी परशुराम के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा होगा। और जब उस ब्राह्मण ने उस बेचारी नारियों के बच्चे को छीन लिया होगा तक की हालात बताने में मेरी लेखनी शक्तिहीन हो रही है। चाहे कुछ भी हो उस ब्राह्मण परशुराम ने जब उन बालकों की हत्या उनकी माताओं के सामने की होगी तो किसी ने अपने सीने पर पत्थर मारा होगा और किसी ने अपने बालों और चेहरों को नोच डाला होगा। और किसी ने अपने प्राण मुंह में मिट्टी भर कर या ऊंची जगह से गिरकर दे दिए होंगे और कोई पागल होकर हा लाल, हा लाल करती हुई गलियों में लोगों के पत्थरों की चोटें खाती घूमते–घूमते मर गई होगी।

अब पाठकगण जरा ध्यान से सोचें कि ब्राह्मणों के मुख्याधिपति परशुराम ब्राह्मण ने इस प्रकार सैकड़ों क्षत्रियों का वध करके उनकी पत्नियों और पुत्रों की जान लेने के पहले कैसी दुर्दशा की होगी। इसके

बावजूद भी क्षत्रिय लोग जो कि किसी कारण परशुराम के चंगुल से बच गए होंगे, अब ब्राह्मण लोग उस ब्राह्मण परशुराम को अपना मुख्याधिपति खुद मानने के साथ–साथ अन्य वर्णों के लोगों से भी मनवाते हैं कि अपना सर्व शक्तिमान ईश्वर मानते आए हैं और मानते हैं। यह भारतीय अचंभा नहीं है तो क्या है कि परशुराम के बाद भी क्षत्रियों के साथ ब्राह्मणों ने कम छल नहीं किया जो भी किया जा सकता था, वो भी किया गया। अनेक तो मुर्गे और तीतरों की भांति आपस में लड़वा कर मरवाया ही नहीं, बल्कि उनकी विधवाओं के साथ भी कितना दुष्कर्म किया होगा और क्षत्रियों को और उनके बच्चों को जिंदा दीवारों में चिनवा दिया होगा।

बड़ी अचंभे वाली बात है कि ऐसे निर्दयी परशुराम को नहीं, बल्कि सभी ब्राह्मणों को आज भी क्षत्रिय कहलाने वाले लोग अपना देवता भूस्वामी तुल्य मानकर उनकी पूजा ही नहीं करते, बल्कि ब्राह्मणों द्वारा रचित कपोल–कल्पित कथाओं को मानकर अंधविश्वास में फंसे हुए हैं। जब कि वो जानते हैं कि इन्हीं ब्राह्मणों के कारण आज अपना देश भारत जो कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, वो आज विदेशी कर्ज की चिड़िया बन गया है। और यह मेरी भविष्यवाणी है कि अगर भारतवासी ब्राह्मणों के इस अंधविश्वासी जाल से अलग न हुए तो पहले की तरह यह देश फिर विदेशी गुलामी की गोद में आहें भरता नजर आएगा जैसाकि पहले कई बार विदेशियों का गुलाम रह ही चुका है।

क्षत्रिय का बांया पैर नीचे की ओर मुख किए हुए पिछड़े वर्ग की कमर को नीचे दबाते हुए दिखाया गया है। जो यह प्रदर्शित करता है कि नीचे दबे हुए व्यक्ति ऊपर न उठ पावें यानी सर्वहारा वर्ग अपनी उन्नति न कर पावे। अगर पिछड़ा वर्ग ऊपर को उठता है। तो (चित्र में देखिए) सबसे पहले उसको अपनी कमर ऊपर उठानी पड़ेगी (इसलिए कमर को दबाए हुए ही दिखाया गया है)। क्षत्रिय का दांया पैर पिछड़े वर्ग के दांए हाथ को दबाते हुए दिखाया गया है, जो यह प्रदर्शित करता है कि यदि पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति ऊपर बढ़ने (उन्नति करने) की कोई हरकत करें, तो वह उनको नीचे ही दबा कर रखें। अगर हरकत बंद न करे, तो उसका हाथ तोड़ दें। इसलिए पिछड़ा वर्ग अपने हाथ को टूटने से बचाने के लिए बिलकुल नहीं हिलाता था।

3. वैश्य

यह वर्ग देश की जनसंख्या का लगभग 6% है। इसके पास धन बल का खजाना है। वह ऊपर वाले वर्ग (ब्राह्मण, क्षत्रिय) की बातों को मानकर नीचे वाले (शूद्र व नारी वर्ग) को जितनी जरूरत हो उतना खजाने से सहायता करें या सहायता तोड़ता रहे। इसका एक हाथ ऊपर वालों को नमस्कार करते हुए दिखाया गया है। और उसके एक हाथ में माल की पोटली दिखाई गई है। इस चित्र में वैश्य वर्ण को पिछड़े वर्ग (शूद्र) की कमर के नीचे भी दबाया जाए, ताकि वह किसी भी हालत में उठ न पावे। वैश्य का एक हाथ प्रदर्शित करता है कि वह ऊपर को इशारा करता हुआ दिखाया गया कि यह सब ऊपर वालों की माया है। मुझे तो उनके आदेशानुसार काम करना है।

4. शूद्र

यह वर्ग भारत की जनसंख्या का लगभग 75% है। इस वर्ग को चित्र में सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक व धार्मिक गुलामी रूपी जंजीर में जकड़े हुए दिखाया गया है। शूद्र वर्ग एक वर्ग है परंतु उसे छः हजार से अधिक जातियों में विभाजित किया गया है।

शूद्र दो प्रकार के होते हैं –

(अ) पिछड़ा वर्ग (पहली प्रकार का शूद्र)

(ब) अनुसूचित (जाति, जनजाति) या अति शूद्र।

सन् 1950 से पहले की आर्थिक धार्मिक एवं राजनीतिक स्थिति

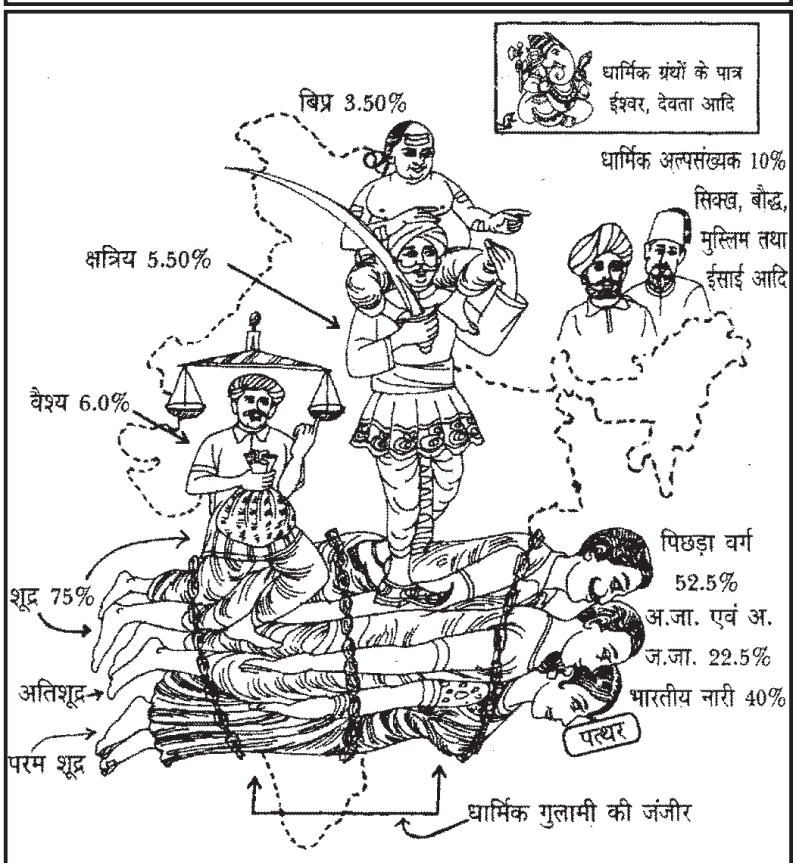

तैंतीस कोटि देवी-देवताओं के संरक्षण में भारतीय समाज का सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्था का चित्रांकित अनुवाद इतिहास का साक्षी है।

(अ) पहली प्रकार का शूद्र : यह शूद्र वह है जो 15% ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के मकान की देहली के अंदर की गुलामी के कार्य करता है। जैसे पंलग लगाना, मालिस करना, खाना बनवाना, पानी भरना, पालकी उठाना, सफाई करना आदि कार्य। इस वर्ग में अनेक जातियां है–जैसे सुनार, माली, कुम्हार, किरार, लखेरे, अहीर, गूजर, गड़रिया, काछी, लुहार, बढ़ई, नाई, लोधी, जोयसी, महतो, कुर्मी, भेंसोरे, बासी, पनवाड़ी, गड़ैल, तेली, तमोली, कहार, मीना आदि। इस वर्ग को आराम से नीचे की ओर मुख किए हुए बताया गया है, जो इस प्रकार दबा रहे कि कभी ऊपर को न देख सके और अपनी उन्नति का रास्ता न खोज पाए। यह वर्ग भारत की जनसंख्या का लगभग 52.5% है। यह इतना दबा हुआ है कि वह गुलामी से परे होना अधर्म या पाप समझने लगा है। वह अपनी उन्नति की ओर ध्यान ही नहीं देता। यह वर्ग ऊंचे वर्ग के लोगों की बातों को ज्यों का त्यों मानकर उनकी गुलामी करने के साथ–साथ, सदा ही अति शूद्रों (अ.जा., अ.ज.जा.) के लोगों को दबाने का कार्य करके 15% लोगों को खुश रखता है और स्वंय खुश रहता है। यह वर्ग धर्म व राजनीति के लिए अंधा जैसा ही है।

(ब) अति शूद्र : यह वर्ग भारत की जनसंख्या का लगभग 22.5% है, जो 15% लोगों की देहली के बाहर की गुलामी

के कार्य करता आया है। जैसे पशुओं का गोबर हटाना, सफाई करना, कपड़े बनाना, गंदगी युक्त कार्य करना आदि इस वर्ग की अनेक जातियां हैं जैसे कोरी, चमार, धोबी, धानुक, मेहतर, वसोर आदि। इस वर्ग को प्रथम प्रकार के शूद्र के नीचे, नीचे को मुंह किए लेटा हुआ इसलिए दिखाया गया है कि यह सदा उपरोक्त तीनों वर्णों (15%) की गुलामी का भार सहन करता रहता है। इसलिए इस वर्ग को अति शूद्र कहा जाता था। यह वर्ग सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक दशा में इतना गिरा हुआ था कि उसमें उन्नति का रास्ता खोजने की हिम्मत ही नहीं थी। उन्नति करने के लिए कदम बढ़ाने पर उन्हें 15% लोगों द्वारा प्रताड़ित किया जाता है तथा हर प्रकार से कुचलकर चुप रहने को मजबूर किया जाता है।

5. नारी

मनुवादी सामाजिक व्यवस्था में हिंदु धर्म को चार वर्णों में विभाजित किया गया है। दैनिक व्यवहार में नारी जाति को नारी वर्ग कहते हैं। इस वर्ग को पांचवां वर्ण या परम शूद्र कह सकते हैं। चूंकि यह वर्ग उपरोक्त सभी वर्णों की हर समय तक सेवा करती हैं। यह सभी वर्णों में सम्मिलित है तथा जातियों के आधार पर कई नामों से पुकारी जाती हैं। जैसे ब्राह्मणी, क्षत्राणी, वैश्याणी, गूजरी, मालिन, कोरिन, चमारिन, नाइन, धोबिन, बसोरिन, मेहतरानी, आदि। इसलिए इसे अलग वर्ण घोषित नहीं किया गया। मनुवादी सामाजिक व्यवस्था में नारी को नर का गुलाम, दासी बनाकर रखा गया है। नारी वर्ग भारत की जनसंख्या की लगभग 40% है। जिसे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से इस प्रकार बाल रखाना तथा साड़ी, साया, ब्लाउज का पहनावा ही सुनिश्चित कर दिया गया है। धन संपत्ति की तरह नारी को जुए तक में हराने या जीतने का खेल खेला जाता रहा है। इस वर्ग को धार्मिक व्यवस्था ने ऐसा दबाया है कि इसको यह ख्याल ही नहीं रहा है कि सभी प्राणियों की तरह मुझे भी स्वतंत्र जीना चाहिए। इसको धार्मिक व्यवस्था ने ऐसा पहनावा दिया है कि यह घर की दहलीज के भीतर ही रहे। उसको गुलाम बनाने के लिए जेवरात भी इस प्रकार बनाए हैं कि उसको अपने नाक, कान को भी छिदवाना पड़े और काँच की चूड़ियां भी इसलिए पहनाई गई है कि यह जरा सी उन्नति के लिए अगर बाहर जाने की कोशिश करे तो चूड़ियों की आवाज से सबको मालूम हो जाए और उसकी उन्नति में बाधा डाल सकें।

साभार :
भारतीय अचम्भा
पृ.सं. 14 से 19 तक।
उमेश कुमार एडवोकेट

राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही प्रमुख योजनाएं

राज्य सरकारों द्वारा भी समय–समय पर महिलाओं के कल्याण के लिए अनेक प्रकार की लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इनमें से कुछ प्रमुख योजनाओं का मैं यहां उल्लेख कर रहा हूं।

पंचधारा योजना : मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक नवंबर, 1991 से विशेषतः ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्र की महिलाओं के कल्याण एवं विकास के लिए पंचधारा योजना प्रारम्भ की गई, इस पंचधारा कार्यक्रम के तहत पांच योजनाएं सन्निहित हैं, जिनके नाम एवं उद्देश्य निम्नलिखित हैं –

1. **वात्सल्य योजना** : प्रसवकाल में महिलाओं को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना।
2. **ग्राम्य योजना** : ग्रामीण महिलाओं को लघु व्यवसाय आरंभ करने हेतु कार्यशील पूंजी प्रदान करना।
3. **आयुष्मती योजना** : अति निर्धन महिलाओं के बीमार होने पर इलाज व पौष्टिक आहार का समुचित प्रबंध करने में सरकारी सहायता।
4. **सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना** : निराश्रित विधवाओं के लिए।
5. **कल्पवृक्ष योजना** : आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में अनुसूचित जाति व जनजाति की महिलाओं को रोजगार उपलब्ध करवाना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य चयनित हितग्राहियों की निजी भूमि पर फलोद्यान स्थापित करना है।
6. **मध्यप्रदेश की लाडली लक्ष्मी योजना** : यह योजना 30 जुलाई, 2006 को आयोजित 'महिला पंचायत' के अवसर पर घोषित की गई थी। यह घोषणा की थी कि 'लाड़ली लक्ष्मी योजना' के तहत, कन्याओं के जन्म के समय उनके नाम से राशि जमा करने की योजना तैयार की जायेगी, जिसके अंतर्गत कन्या की आयु 21 वर्ष होने पर उसे एक लाख रूपये मिलेंगे।

वस्तुतः राष्ट्रीय मानकों के परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश में महिलाओं से सम्बंधित संकेतक लिंगानुपात और बालिकाओं के शैक्षणिक तथा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार तथा उनके अच्छे भविष्य की आधारशिला रखने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश में 'लाड़ली लक्ष्मी योजना' एक अप्रैल, 2007 से लागू की गई । निश्चित ही यह योजना कन्याओं के लिंगानुपात को ठीक करने के लिए बेहतर योजना है।

स्वास्थ्य सखी योजना : उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार की इस योजना के तहत आठवीं कक्षा तक पढ़ी 18 से 35 वर्ष तक की महिलाओं को 'मिड वाइफ' के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। चयनित महिलाओं को 500 रूपए प्रति माह का भत्ता दिया जाएगा।

अपनी बेटी अपना धन योजना : हरियाणा

बालिकाओं के भविष्य को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से 2 अक्टूबर, 1994 से हरियाणा सरकार ने यह योजना शुरू की है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति व जनजाति के परिवारों की नवजात बालिकाओं के नाम 2,500 रूपए सरकार द्वारा इंदिरा विकास पत्र के माध्यम से निवेश किए जाते हैं। जब यह लड़की 15 साल की हो जाती है तब तक यह राशि 25 हजार हो चुकी होती है। यह राशि उसी लड़की को प्राप्त होती है, जिसके नाम निवेशित होती है।

देवीरूपक योजना

देश के पूर्व उपप्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल के जन्मदिवस पर 25 सितंबर, 2002 को हरियाणा के जींद में आयोजित एक समारोह में चौधरी देवीलाल के पुत्र तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी ओमप्रकाश चौटाला ने इस योजना की घोषणा की थी। इस योजना का उद्देश्य लिंगानुपात में आ रही गिरावट को रोकना है। प्रजनन योग्य दम्पतियों खासकर नवविवाहितों को लक्षित करते हुए शुरू की गई इस योजना के तहत जो दम्पती पहली या दूसरी संतान के जन्म के बाद नसबंदी कराएंगे, उन्हें पांच सौ रूपए प्रतिमाह तक की राशि 20 वर्षों तक देने की घोषणा की गई थी। इस योजना में निर्धारित किया गया कि अगर पहली संतान लड़की हुई और दम्पती इसके बाद नसबंदी करवा लेता है तो उसे पांच सौ रूपए प्रतिमाह तथा पहला बच्चा लड़का होने पर नसबंदी करवाने पर 200 रूपए प्रतिमाह दिया जाए। पहली और दूसरी बेटी होने पर नसबंदी करवाने पर भी 200 रूपए प्रतिमाह दिए जाएं।

मुख्यमंत्री लाड़ली योजना

हरियाणा में 15 नवंबर 2011 मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना लागू हुई है।

इस तिथि के एक साल पहले तक जन्मी बच्चियां होंगी इस योजना की लाभुक।

बीपीएल व एपीएल में 75 हजार से कम आय वाले व्यक्ति की बेटी होगी चयनित।

ऐसी ही बच्चियां होंगी शामिल जिनका जन्म संस्थागत हुआ हो।

जन्म के वर्ष से लगातार पांच साल तक प्रति वर्ष छह हजार की दर से कुल 30 हजार रूपये राज्य सरकार द्वारा जमा किए जाएंगे, डाक जमा योजना में।

लाभुक बालिका के कक्षा छह में प्रवेश पर दो हजार का भुगतान, कक्षा नौ में प्रवेश पर चार हजार, 11 वीं में प्रवेश पर 7500 रूपये तक एकमुश्त भुगतान होगा।

बालिका संरक्षण योजना : आंध्र प्रदेश

आंध्र प्रदेश में कन्याओं के संरक्षण एवं समाज में उन्हें सम्मानजनक स्थान दिलाने को राज्य सरकार ने एक बालिका संरक्षण योजना आरम्भ करने की घोषणा की है। इस योजना में 60 हजार से अधिक बालिकाओं को लक्षित किया जाना तय किया गया है, जो निर्धनतम परिवारों की हैं और जिनकी वार्षिक आय 11 हजार रूपए वार्षिक से कम है।

लाड़ली योजना : दिल्ली

दिल्ली सरकार ने इस योजना का नारा 'पढ़ेगी, बढ़ेगी, नाम रौशन करेगी' दिया है। यह योजना वर्ष 2008 में दिल्ली सरकार ने शुरू की थी। इस योजना में केवल वही बालिकाएं भाग ले सकती हैं, जिनका जन्म एक जनवरी, 2008 के बाद हुआ हो। अगर उनका जन्म घर में हुआ है तो दस हजार तथा अस्पताल या प्रसूति गृह में हुआ है तो 11 हजार रूपए मिलेंगे। कक्षा पहली, छठी, नौवीं व बारहवीं में प्रवेश के समय तथा दसवीं पास करने पर हर बार पांच हजार रूपए मिलेंगे। बालिकाओं को हर बार अलग–अलग आवेदन करना होगा। यह राशि उनके खाते में जमा कर दी जाएगी। यह सुविधा केवल उन्हीं बालिकाओं के जन्म के बाद नवीनीकरण होते रहेंगे, उनकी राशि ब्याज सहित उन्हें दी जाएगी ऐसी बालिकाओं को एक लाख रूपए एकमुश्त दिए जाएंगे। यह सुविधा केवल दिल्ली में पैदा हुई लड़कियों को मिलेगी। योजना लेने वाली लड़की को दसवीं पास करना जरूरी है। एक ही परिवार की दो लड़कियां इस सुविधा का लाभ ले सकती हैं। लड़की की यह राशि किसी अन्य को नहीं मिलेगी तथा 18 वर्ष की होने पर उसे ही मिल पाएगी।

गोवा 'लाड़ली' योजना : गोवा

गोवा सरकार ने भी राज्य में कन्या भ्रूण हत्या रोकने के अपने प्रयास के तहत आज 'लाड़ली' योजना शुरू कर दी है। इस योजना के तहत 18 साल या उससे अधिक उम्र की लड़कियों की शादी के लिए एक–एक लाख रूपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर पार्रिकर ने योजना की शुरूआत के मौके पर कहा कि बच्चियों के जन्म के बाद उनके भविष्य को लेकर चिंतित अभिभावकों को इस योजना से मदद मिलेगी। गौरतलब है कि भाजपा ने अपने चुनावी वादे में इस योजना को शुरू करने की घोषणा की थी।

इसके तहत राज्य में कानूनी तौर पर वैध विवाह करने वाली लड़कियों को एक लाख रूपए दिए जाएंगे और यह एक अप्रैल 2012 से लागू मानी जाएगी।

योजना का लाभ उठाने के लिए जरूरी है कि लड़की के अभिभावक 25 साल से गोवा में रह रहे हों और लड़की की परवरिश गोवा में हुई हो। गोवा से बाहर जन्म लेने वाली लड़कियों के आवेदन पर राज्य सरकार की समिति गौर करेगी। राज्य सरकार ने इस योजना के लिए 150 करोड़ रूपए का कोष बनाया है।

कृपया ध्यान दें

ऐसी योजनाओं की एक लंबी सूची है, जो केंद्र व प्रदेश स्तर पर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए चलाई जा रही है। अगर इन सभी योजनाओं पर लिखा जाएगा तो एक लंबी–चौड़ी पुस्तक बन जाएगी। साथ ही मैं यह भी बताना चाहता हूं कि जिन योजनाओं के सम्बंध में मैं इस पुस्तक में लिख रहा हूं, उनमें समय के अनुसार बदलाव आ सकता है। हो सकता है, जब तक यह पुस्तक आपके हाथों में पहुंचे, कुछ योजनाएं बंद हो चुकी हों या कुछ नई शुरू हो चुकी हों। यह भी हो सकता है कि योजनाओं में लाभ की राशि बढ़ भी चुकी हो। मेरा इन योजनाओं को लिखने का उद्देश्य केवल इतना है कि मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ऐसी अनेक योजनाएं केंद्र व राज्य स्तर पर चलाई जा रही हैं, जो लड़कियों व महिलाओं के लिए हैं। लेकिन अधिकांश को इनका ज्ञान नहीं है तथा वे इनका लाभ नहीं उठा पा रहीं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे वह लड़की हो या महिला, उन सभी योजनाओं का पता लगा लें, जो उनके लाभ के लिए हैं। समाज कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग या जिला प्रशासन से ऐसी सभी योजनाओं का ताजा प्रारूप पता चल सकता है। इसके अलावा महिलाओं के लिए काम कर रहा कोई भी संगठन इसकी पूरी जानकारी दे देगा। बच्चियों के पैदा होने से लेकर वृद्धावस्था तक महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजनाएं उपलब्ध हैं। अभिभावकों से भी मेरा निवेदन है कि वे परिवार की बेटियों के लिए उनकी लाभ की योजनाओं का पता लगा लें तथा उनका अधिक से अधिक लाभ उठाने की कोशिश करें।

केंद्र व राज्य स्तर पर अलग–अलग योजनाएं भी चलाई जाती हैं। अगर आप जागरूक होंगी तभी इनका लाभ उठा पाएंगी। महिलाओं का सही मायनों में सशक्तिकरण भी तभी हो पाएगा, जब वे अपने अधिकारों व कानून के प्रति जागरूक होंगी तथा उन्हें सभी सरकारी योजनाओं का ज्ञान होगा।

साभार :
महिलाएं समझें अपने कानूनी अधिकार
पृ.सं. 172 से 175 तक।
जे.के.वर्मा

जन्म दिन पर विशेष 26 जुलाई छत्रपति साहू महाराज

हमारे देश मे अनेक व्यक्तित्व ऐसे हुए है जो सुविधाओं में पले, पर जैसे – जैसे बचपन से उन्होंने जवानी की ओर कदम रखा, वैसे – वैसे उन्होंने अभाव में रह रहे लोगों की पीड़ा तथा दर्द को समझा, महसूस किया और उनके लिए कार्य कर समाज के सामने एक आदर्श प्रस्तुत कर दिखाया। ऐसे ही महापुरुषों में से थे छत्रपति साहू महाराजजी, जिन्होंने राजा होते हुए भी हर समय दलित तथा शोषित वर्ग से अपना रिश्ता बनाए रखा।

साहू महाराज का जन्म 26 जुलाई 1874 में हुआ था। उनके पिता का नाम श्रमंत जयसिंह राव आबा साहब घाटगे और माता का नाम राधाबाई था। उनके बचपन का नाम यशवंतराव था।

साहू महाराज की शिक्षा राजकोट के 'राजकुमार महाविद्यालय' में हुई। राजकोट की शिक्षा समाप्त कर आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए 1890 से 1894 तक वे धारवाड़ में रहे। उन्हें अंग्रेजी और इतिहास आदि अन्य विषयों से राजकाज चलाने की भी शिक्षा दी गई। वे पढ़ाई – लिखाई में कुशल थे। साथ ही शासन सम्बन्धी मामलों को जल्दी ही समझ लिया था।

छत्रपति साहू महाराज 1894 में कोल्हापुर रियासत के राजा हुए। उन दिनों समाज में जातिवाद का बोलबाला था। समाज में जाति, धर्म तथा वर्गों के आधार पर विषमता बढ़ रही थी। समाज का एक वर्ग पिस रहा था और दूसरा उस पर हावी था। साहू महाराज ने इन सबका विश्लेषण करने के बाद दलितोद्धार का कदम उठाया। उन्होंने शूद्रातिशूद्र वर्ग को ऊपर उठाने के लिए एक योजना बनाई और उसे कार्यरूप में लाए। इसके लिए उन्होंने दलित तथा पिछड़ी जातियों के लोगों के लिए स्कूल – कालेजों की स्थापना के साथ – साथ उनके लिए छात्रालयों की स्थापना की। समाज में जो वर्ग हजारों वर्षों से सताया जा रहा था, जब उसमें परिवर्तन होने लगा तो उच्च वर्ग को बुरा लगा। वे महाराज को अपना शत्रु समझने लगे। परिणाम यह हुआ कि साहू महाराज की तथाकथित सवर्ण जाति के लोग एक स्वर में निन्दा करने लगे। स्वयं राजपुरोहित ने कहा– ''आप शूद्र है और शूद्र को वेद मन्त्र सुनने का अधिकार नहीं है।'' उस समय कोल्हापुर के राजपुरोहित का समर्थन शंकराचार्य ने भी किया था। साहू महाराज ने बहुजन समाज को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से इन सबका डटकर मुकाबला किया।

समाज में जातिभेद और विषमता एक बड़ा कारण रहा है– एक वर्ग का मान – सम्मान हो तथा दूसरे का अपमान। उन्होंने अमानवीय आधार पर चल रही परम्परा पर वार किया और जन – जन में प्रचार के लिए आन्दोलन चलाया।

1911 में साहू महाराज ने अपने संरक्षण में 'सत्य शोधक समाज' की स्थापना की। उन्होंने कोल्हापुर में 'सत्य शोधक पाठशाला' चलाई। गांव – गांव में सत्य शोधक समाज के सम्मेलन आयोजित किए। यही नहीं दलित समाज के विद्यार्थियों को धर्मज्ञान प्राप्त करने की स्वस्थ्य परम्परा का विकास किया। ध्यान रहे कि 1873 में महाराष्ट्र में महान समाज सुधारक ज्योतिबा फुले ने 'सत्य शोधक समाज' की स्थापना की थी। जात – पांत, ऊँच – नीच की मानवद्रोही और समाजद्रोही विचार प्रणाली के विरूद्ध मानव और मानव के बीच समता का समर्थन करने वाला यह आन्दोलन था। साहू महाराज ने इसी आन्दोलन को अपनी सियासत में आगे बढ़ाया था।

1919 में डा0 अम्बेडकर साहू महाराज के सम्पर्क में आए। उनकी सहायता से ही 31 जनवरी 1920 मे बाबा साहेब ने मूकनायक (गूंगो का नेता) मराठी पाक्षिक समाचार – पत्र आरम्भ किया।

21 मार्च 1920 का कोल्हापुर रियासत के माणगांव में डा0 अम्बेडकर की अध्यक्षता में दलितों का एक सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन में साहू महाराज ने भाषण देते हुए कहा था– ''भाइयों, आज आपको डा0 अम्बेडकर के रूप में अपना रक्षक नेता मिला। मुझे पूर्ण विश्वास है कि डा0 अम्बेडकर आपकी गुलामी की बेड़ियां तोड़ देंगे। समय आएगा और डा0 अम्बेडकर अखिल भारत के प्रथम श्रेणी के नेता के रूप में चमक उठेंगे।'' उस समय कौन जानता था कि साहू महाराज की भविष्यवाणी एक दिन सही साबित होगी।

15 अप्रैल 1920 को साहू महाराज के सहयोग से ही नासिक में 'विद्या वसतीगृह' की स्थापना हुई। इसकी स्थापना करते हुए उन्होंने कहा था– ''बहुत से लोगों का कहना है कि जाति भेद बुरा नहीं, पर जातिद्वेष नहीं होना चाहिए।'' ऐसा विचार रखने वाले लोगों को समझाते हुए उन्होंने कहा कि जातिभेद का कार्य ही जातिद्वेष पैदा करता है। इसलिए सबसे पहले समाप्त करना चाहिए।

साहू महाराज सम्पूर्ण भारतीय समाज में परिवर्तन देखना चाहते थे। एक ओर उन्होंने जहां

सेवा में,

नाम .....

पता .....

.....

.....

करने का कानून भी 1912 में बनाया था। उन्होंने पुनर्विवाह के लिए भी कानून बनाया। इस तरह से उन्होंने अन्य क्षेत्रों में भी क्रान्तिकारी कानून बनाकर समाज में परिवर्तन होने की परिस्थितियों की संरचना में सहयोग दिया। उनका किसी जाति विशेष के लोगों से कोई द्वेष न था लेकिन वे समाज में स्वस्थ्य मूल्यों का निर्माण करना चाहते थे। इसलिए ही शायद तत्कालीन समय में उच्च वर्ग के कुछ लोग उनके विरोधी हो गए थे उन्हें अपना शत्रु मानने लगे थे। पर साहू महाराज किसी के शत्रु न थे। न ही किसी को शत्रु बनाने में रुचि थी। वे तो मानव – मानव के बीच प्यार और भाईचारे के अंकुर पैदा करना चाहते थे। जिसमें किसी सीमा तक वे सफल भी हुए।

निश्चित ही साहू महाराज ने भारतीय समाज से विषमता समाप्त करने तथा समता और बराबरी के मानवीय सिद्धान्त को लागू कराने के लिए जीवनभर जो संघर्ष किए, वे हमेशा – हमेशा के लिए याद किए जायेंगे तथा समाज की भावी पीढ़ी उनसे हर एक युग में प्रेरणा भी लेती रहेगी। उन्होंने जातिभेद समाप्त करने के लिए एक ऐतिहासिक कार्य किया था। यही नहीं, समय – समय पर वे बाबा साहब डा0 अम्बेडकर को हर तरह से सहयोग भी किया करते थे। उनके मन में बहुजन समाज के लिए गहरा लगाव था। वैसे वे हर समाज की प्रगति देखना चाहते थे। पर जो भी कारणवश पिछड़ गए थे उन्हें आगे लाना भी वे अपना फर्ज समझते थे।

10 मई 1922 को उनका निधन हो गया। स्वयं बाबा साहब डा0 अम्बेडकर को उनके निधन पर बहुत दुःख हुआ था। क्योंकि वे जानते थे कि इस तरह के महापुरूष बिरले ही जन्म लेते हैं। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो समाज के लिए जीते हैं। साहू महाराज उनमें से ही एक थे, जो जीवनपर्यंत समाज में समता और बराबरी देखने के लिए संघर्ष करते रहे।

साभार : समता की ओर
मोहनदास नैमिशराय

जिन लोगों की जन आन्दोलन में रूचि है उन्हें केवल धार्मिक दृष्टिकोण अपनाना छोड़ देना चाहिए उन्हें भारत के लोगों के प्रति सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण भी अपनाना चाहिए ।
–भीमराव अम्बेडकर

छत्रपति शाहूजी महाराज

छत्रपति साहू जी महाराज के जन्म दिवस के अवसर पर हार्दिक श्रृद्धांजलि

विद्या बिन मति गई, मति बिन नीति गई, नीति बिन गति गई, गति बिन धन गया धन बिन शूद्र पतित हुए इतना घोर अनर्थ मात्र अविद्या के कारण ही हुआ।
–महात्मा ज्योतिबा फूले